दिनांक 20.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 23/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद को आजीवन कारावास व 01 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना बन्नादेवी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना बन्नादेवी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ कालू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना मटसेना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना मटसेना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवेन्द्र को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कुंवर पाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बादां/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 08–08 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बादां पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बादां द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामदत्त उर्फ बुक्की 2–ब्रम्हदत्त उर्फ चाऊ को 08–08 वर्ष के कठिन कारावास व 08–08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कासगंज/थाना सिकन्दरपुर वैश्य (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कासगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कासगंज द्वारा थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शेर सिंह 2–देव सिंह को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 15–15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना खोडा

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.09.2023 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इतवार पुस्ता के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–राजू 2–देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खोडा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी एम ब्लाक थाना रघुवीर नगर दिल्ली।

2–देवेन्द्र निवासी एन–55 मोहन गार्डन दिल्ली, हालपता अशोक नगर थाना नांगलोई दिल्ली।

जनपद सम्भल/थाना नखासा

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.09.2023 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डलाई बाईपास से कल्याणपुर जाने वाले मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अयान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नखासा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अयान निवासी हिलाली सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना छपरौली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 20.09.2023 को थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बागपत, शामली के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुनैद निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने का आभूषण, 05 हजार रूपये नगद**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 की रात्रि थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त रफीक उर्फ राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने का आभूषण, 05 हजार रूपये नगद, 01 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रफीक उर्फ राहुल निवासी गुलाब नगर थाना अछनेरा , आगरा।

बरामदगी

1—लूटे गये सोने का आभूषण, 05 हजार रूपये नगद।

2—01 कार।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **8300/—रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 20.09.2023 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 8300/—रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा की चोरी की घटनाए कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक निवासी ग्राम बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया।

बरामदगी

1–लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–8300/–रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने के आभूषण**
- **51 हजार रूपये नगद**
- **मकान के ताले तोड़ने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20.09.2023 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होली चाइल्ड चौराहा रेलवे लाइन के पास से 04 अभियुक्तों 1–कामिल 2–चॉद मोहम्मद 3–नरूद्दीन 4–मेवाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने के आभूषण, 51 हजार रूपये नगद, मकान के ताले तोड़ने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त कामिल के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त चॉद मोहम्मद के विरूद्ध जनपद मेरठ, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कामिल निवासी ग्राम अकरोली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल हालपता–कस्बा चंदौसी जनपद सम्भल।

2–चॉद मोहम्मद निवासी माधोपुरम थाना ब्रहम्पुरी जनपद मेरठ हालपता–सादिकपुर थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

3–नरूद्दीन निवासी टंकी मोहल्ला कस्बा गंवा थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

4–मेवाराम निवासी मोहल्ला नेताजी कालोनी जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की सोने के आभूषण।

2–51 हजार रूपये नगद।

3–मकान के ताले तोड़ने के उपकरण।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्माद्दौला</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन**
- **04 चाबी बरामद**

दिनॉकः 20.09.2023 को थाना एत्मद्दौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महताब बाग के पास से 03 अभियुक्तों 1–रितिक 2–सन्नी 3–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन, 04 चाबी बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रितिक निवासी कस्बा खंदौली थाना खंदौली, आगरा।

2—सन्नी निवासी कालिंदी विहार थाना ट्रांस यमुना, आगरा।

3—विकास निवासी बिंदु कटरा थाना सदर बाजार, आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की 08 दो पहिया वाहन।

2—04 चाबी।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट बरामद**

दिनांक 20.09.2023 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बक्सर गोल चक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1—कुलदीप 2—अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी ग्राम शबदलपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

2—अनुज निवासी अचपलगढी थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिखेडा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.09.2023 को थाना सिखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूण्डूर रजवाहे की पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—गोलू उर्फ प्रयास मीना सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सिखेडा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी तिलफरा थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

2—गोलू उर्फ प्रयास मीना निवासी पालनपुर थाना हिन्डोन जनपद करौली, राजस्थान।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा।

जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 48 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **2220/—रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 को थाना चोपन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फासिल्स पार्क के गेट के सामने से 02 अभियुक्तों 1— जदुवीर

2–बुन्टीराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 48 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 2220/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जदुवीर निवासी बैवाही थाना कुलरिया जनपद बरेली।

2–बुन्टीराम निवासी गदरवास रामगढ़(सेठान) थाना रामगढ़ जनपद सीकर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 48 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–2220/–रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन।

जनपद चन्दौली/थाना नौगढ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 386 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त डीसीएम आइसर वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 की रात्रि थाना नौगढ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जयमोहनी बार्डर के पास से 02 अभियुक्त 1–रखा राम 2–दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 386 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त डीसीएम आइसर वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नौगढ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रखा राम निवासी ककराला थाना सेडवा जनपद बाडमेर , राजस्थान।

2—दिनेश कुमार निवासी लकडा थाना सेडवा जनपद बाडमेर , राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 90 लाख रूपये कीमत के 386 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त डीसीएम आइसर वाहन आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोठी

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 20.09.2023 को थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सदरपुर चौराहा के पास से मादक पदार्थ तस्कर अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमर सिंह निवासी कौरहापुरवा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध मारफीन।

➢ **जनपद सुल्तानपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 26 हजार 400 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सुल्तानपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–राजेश पुत्र माताफेर निवासी सोनपुरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ 2–कपिल देव पुत्र गयादीन निवासी लालू का पुरवा सोनावा थाना चांदा जनपद सुलतानपुर 3–जैसराज पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम सराय अचल गोलवारा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 26 हजार 400 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः हत्या की घटना में जनपद जौनपुर से रूपये 25 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशाल गौतम गिरफ्तार।

दिनांक 20–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को हत्या की घटना में जनपद जौनपुर से रूपये 25 हजार के पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशाल गौतम को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

विशाल गौतम पुत्र सुनील गौतम, निवासी आजो अजिया, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः–

1–मोबाइल फोन 01 अदद।

2– रूपया 120/–नगद।

3–आधार कार्ड–01 अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

सुजानगंज तिराहा के पास थाना क्षेत्र सुजानगंज जनपद जौनपुर। दिनांक 20–09–2023

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनांए प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0

की विभिन्न फील्ड इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुये अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम जनपद जौनपुर में मौजूद थी, कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2023 धारा 302/504/506 भादवि एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में वांछित रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशाल गौतम सुजानगंज तिराहा के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा विष्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान सुजानगंज तिराहा के पास पहुंचकर विशाल गौतम उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि नाजायज प्रेम प्रसंग के कारण वह अपने परिवार के 04 सदस्यों के साथ मिलकर मृतक सूरज उर्फ दिवाकर पुत्र बृजलाल गौतम निवासी आजो अजिया थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर की हत्या कर शव को फेक दिया था।

उल्लेखनीय है कि आम तोडने के विवाद को लेकर सूरज उर्फ दिवाकर की हत्या कर दिये जाने आदि के सम्बन्ध में मृतक के पिता बृजलाल गौतम द्वारा दिनांक 18–05–2023 को थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 100/2023 धारा 302/504/506 भादवि व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम ओंमकार नाथ मिश्रा आदि के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, परन्तु जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा विवेचना से पाया गया कि सूरज उर्फ दिवाकर की हत्या पूर्व में आम तोडने को लेकर ओंमकार नाथ मिश्रा आदि ने नही किया है, बल्कि नाजायज प्रेम प्रसंग के कारण सूरज उर्फ दिवाकर की हत्या गॉव के ही विशाल गौतम और उसके परिवारीजन सहित कुल 04 लोगों ने मिलकर की थी। विवेचना से ओंमकार नाथ मिश्रा आदि का नाम निकालते हुये विशाल गौतम उसके पिता सुनील गौतम, कोटेदार आदि सहित कुल 04 लोगों का नाम प्रकाश में आया

था। तभी से विशाल गौतम फरार चल रहा था और जौनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसे आज दिनांक 20–09–2023 को सुजानगंज तिराहे के पास से एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त विशाल गौतम को मु0अ0सं0 100/2023 धारा 302/506/201/120बी में थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

एसटीएफ–थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2019 का वांछित रू0 25,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव कुमार लोधी, जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार।

दिनांक 20–09–2023 को एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव कुमार लोधी को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– देवेन्द्र उर्फ देव कुमार लोधी पुत्र हरप्रसाद, निवासी नगला तिकोना थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ हाल पता मौ0 असालत नगर आर्डीनेंस फैक्ट्री के पास कस्बा व थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगीः–

1– रू0 1500 रू0 नकद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

स्थानः थाना मैनाठेर, मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत गगन तिराहा के पास। दिनांक 19.09.2023,समय 16.00 बजे।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध मे एस0टी0एफ0 की विभिन्न

इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण व श्री उदय प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा की एक टीम अपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन हेतु जनपद मुरादाबाद में भ्रमणशील थी। अभिसूचना संलकन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव कुमार लोधी ,मुरादाबाद के गगन तिराहा पर कही जाने की फिराक में आने वाला है। यदि जल्दी की जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए उपनिरीक्षक श्री धूम सिंह, मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह, मु0आ0 विमल कुमार मु0आ0 प्रदीप कुमार ,मु0आ0 दिनेष कुमार चौधरी एसटीएफ आगरा की एक टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान गगन तिराहा मुरादाबाद पर पहुॅचकर, मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव कुमार लोधी को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया,जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह थाना क्वार्सी से गैगस्टर एक्ट के अभियोग में ईनाम हो जाने के कारण गाजियाबाद से भागकर अपने परिवार के साथ दिल्ली के जी ब्लॉक मुकुन्द बिहार गली न0—165 करावल नगर मे रह रहा था व गुजारे के लिए मुरादाबाद व बरेली क्षेत्र में कपडे की फेरी लगाने का काम कर रहा था । आज भी वह मुरादाबाद आया था कि आप लोगो ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 321/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ मे दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देव कुमार का ज्ञात अपराधिक इतिहास–

क्रस0	मु0अ0स0 / धारा	थाना व जनपद
01	मु0अ0स0 636 / 2021 धारा 147 / 148 / 307 / 323 / 324 / 425 / 506 / 504 भादवि	इगलाष अलीगढ
02	मु0अ0स0 834 / 2018 धारा 380 / 457 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
03	मु0अ0स0 903 / 2021 धारा 174ए भादवि	क्वार्सी अलीगढ
04	मु0अ0स0 1413 / 2018 धारा 380 / 457 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
05	मु0अ0स0 1442 / 2018 धारा 380 / 457 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
06	मु0अ0स0 1459 / 2018 धारा 380 / 457 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
07	मु0अ0स0 1467 / 2018 धारा 411 / 414 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
08	मु0अ0स0 1792 / 2017 धारा 392 भादवि	क्वार्सी अलीगढ
09	मु0अ0स0 321 / 2019 धारा 2 / 3 गैग0 एक्ट	क्वार्सी अलीगढ
10	मु0अ0स0 138 / 2018 धारा 323 / 504 / 506	भोजीपुरा बरेली
11	मु0अ0स0 142 / 2022 धारा 380 / 457 भादवि	कंकडखेडा मेरठ

——————